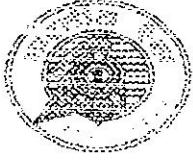


3 pages



79

पूर्वोत्तर रेलवे

कार्यालय
महाप्रबन्धक (कार्मिक)
गोरखपुर।

ई०पी०सं०-2-16

क्रमांक- 98/2018

आरबीई सं०-76/2018

सं० ई/227/2/भाग-15/IV

दिनांक 20-06-2018

सचिव/महाप्रबन्धक
सचिव/अपर महाप्रबन्धक
सभी विभागाध्यक्ष
सभी मण्डल रेल प्रबन्धक
सभी कार्मिक अधिकारी
सभी मुख्य कारखाना प्रबन्धक
सभी अतिरिक्त मण्डलाधिकारी/स्थापना
पूर्वोत्तर रेलवे।

विषय:-इंडियन पावर लिफ्टिंग फेडरेशन(आईपीएफ) की स्थिति।

रेलवे बोर्ड का पत्र सं० 2018/ई(स्पोर्ट्स)/4(1)/पीएलजी दिनांक 31.05.2018 की अंग्रेजी एवं हिन्दी प्रतिलिपि सूचना, मार्गदर्शन एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक/यथोपरि

(आरबीई सं०-76/2018)
सकाधि/मुख्या०-11
कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महामंत्री/एन.ई.रेलवे मजदूर यूनियन/गोरखपुर - 40 प्रतियों में।
- 2- महामंत्री/प्रमोटी अधिकारी संघ/पूउरे/गोरखपुर - 02 प्रतियों में।
- 3- महामंत्री/रेसुब एशोसियेशन/पूउरे/गोरखपुर - 02 प्रतियों में।
- 4- पूर्वोत्तर रेलवे प्रथम श्रेणी अधिकारी संघ/गोरखपुर - 01 प्रति में।
- 5- महामंत्री/एससी/एसटी एवं ओबीसी एशोसियेशन/गोर०-02 प्रतियों में।
- 6- मुकार्याधी/एमपीपी को वेबसाइट पर अपलोड हेतु - 01 प्रति में।

कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

भारत सरकार Government of India
रेल मंत्रालय Ministry of Railways
(रेलवे बोर्ड) (Railway Board)

No. 2018/E(Sports)/4(1)/1/PL6

New Delhi, dated 31.05.2018

The General Managers (P),

All Zonal Railways including
CLW, DLW, ICF, RCF, RWF, Metro Railway/Kolkata,
The CAO(R), DMW/Patiala,
The DG, RDSO/Lucknow.

विषय: Status of Indian Powerlifting Federation (IPF).

सन्दर्भ: Board's letter no. 2010/E (Sports)/4(1)/1 (policy) dated 31.12.2010 (RBE No. 189B/2010) and clarifications/ corrigendum issued thereto.

At present there are two factions of Indian Powerlifting Federation (IPF), none of which is recognized by the Ministry of Youth Affairs and Sports.

In view of above, it has been decided that the sports achievements in the event conducted by Indian Powerlifting Federation (IPF) or its affiliated units after 03.10.2017, shall not be considered for recruitment, incentives and all other establishment matters, till further order. However, the certificates issued by the Association of Indian Universities and the International Federations for recognized sports achievement in the game of ~~Powerlifting~~ will be permissible for said purpose.

Powerlifting

Bhaskar Roy Choudhury

(Bhaskar Roy Choudhury)
Dy. Director/ Estt.(Sports)

No. 2018/E(Sports)/4(1)/1/PL6

New Delhi, dated 31.05.2018

Copy to:

1. The General Secretary, AIRF, 4, State Entry Road, New Delhi.
2. The General Secretary, NFIR, 3, Chelmsford Road, New Delhi.
3. The General Secretary, All India SC/ST Railway Employee Association, 7-GF, Ground Floor, Rail Bhavan, New Delhi.
4. The General Secretary, All India OBC Railway Employees' Association, Room No.48, Rail Bhavan, New Delhi.

Chandrasekhar
For Secretary/Railway Board

Copy to:

1. The FA&CAO, All Zonal Railways and Production Units.
2. The Hony. General Secretaries, Sports Associations of all Zonal Railways/ Production Units.
3. PPSs/PSs to CRB; MS; AM(S); Adv.(IR); ED/E(N); ED(E); ED/E(Res.); ED/F(E); D/E(N); JD/E(N); JD/E(Rep.)-I&II; JD/E(W); DD/E(N)I&II; DD/E(R)-I&II; DD/F(E)-I,II&III; and E(Rep.)-I,II&III; E(SCT)I&II; E(NG)I&II; and F/E(Spl.) Branches in Board's office.

7/6/18
13/06/18
20/6/18
14.6.18
Ratna

744
13.6

3
98/2018

आरबीई सं. 76 /2018
स्पष्टीकरण/शुद्धिपत्र सं. 92

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड)/(RAILWAY BOARD)

सं. 2018/ई(स्पोर्ट्स)/4(1)/1/पीएलजी

नई दिल्ली, दिनांक 31.05.2018

महाप्रबंधक (पी)

सभी क्षेत्रीय रेलों सहित

चि.रे.का., डी.रे.का., स.डि.का., आरसीएफ, रेल पहिया कारखाना, मेट्रो रेलवे/ कोलकाता

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (आर), डीएमडब्ल्यू/पटियाला

महानिदेशक, अ.अ.मा.सं./लखनऊ

विषय: इंडियन पावरलिफ्टिंग फेडरेशन (आईपीएफ) की स्थिति।

संदर्भ: बोर्ड का दिनांक 31.12.2010 का पत्र सं. 2010/ई(स्पोर्ट्स)/4(1)/1(पॉलिसी)
(आरबीई सं. 189बी/2010) तथा इस संबंध में जारी किए गए स्पष्टीकरण/शुद्धिपत्र।

इस समय इंडियन पावरलिफ्टिंग फेडरेशन (आईपीएफ) के दो गुट हैं, जिनमें से किसी भी गुट को युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा मान्यता प्रदान नहीं की गई है।

उपर्युक्त को देखते हुए, यह विनिश्चय किया गया है कि 03.10.2017 के पश्चात् इंडियन पावरलिफ्टिंग फेडरेशन (आईपीएफ) अथवा इसकी सम्बद्ध इकाइयों द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में खेलकूद उपलब्धियों पर भर्ती, प्रोत्साहन तथा स्थापना संबंधी अन्य सभी मामलों पर अगले आदेश होने तक विचार नहीं किया जाएगा। बहरहाल, पावरलिफ्टिंग के खेल में मान्यताप्राप्त खेलकूद उपलब्धि के लिए भारतीय विश्वविद्यालय संघ तथा अन्तरराष्ट्रीय फेडरेशनों द्वारा जारी किए गए प्रमाण-पत्र उक्त प्रयोजन के लिए अनुमेय होंगे।

(भास्कर राय चौधरी)

उप निदेशक/स्था.(खेलकूद)

सं. 2018/ई(स्पोर्ट्स)/4(1)/1/पीएलजी

नई दिल्ली, दिनांक 31.05.2018

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. जनरल सेक्रेटरी, एआईआरएफ, 4, स्टेट एंट्री रोड, नई दिल्ली।
2. जनरल सेक्रेटरी, एनएफआईआर, 3, चेम्सफोर्ड रोड, नई दिल्ली।
3. जनरल सेक्रेटरी, ऑल इंडिया एससी/एसटी रेलवे इम्प्लाईज़ एसोसिएशन, 7-जीएफ, भू-तल, रेल भवन, नई दिल्ली।
4. जनरल सेक्रेटरी, ऑल इंडिया ओबीसी रेलवे इम्प्लाईज़ एसोसिएशन, कमरा नं. 48, रेल भवन, नई दिल्ली।

नवीन (अहमद)
कृते सचिव/रेलवे बोर्ड